आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.-31 of 2019

Dist.:-.Patna

PRESENT :- Smt. (Dr.)Vandana Kini, IAS,
Chairman-Cum-Member.

==========

Baidyanath Prasad Gupta - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors. - Respondent/ Opp. Party

==========

Appearance :
For the Petitioner :
For the OP :

==========

ORDER

20.10.2022

यह सेवा अपील श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, निम्नवर्गीय लिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा द्वारा निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) द्वारा पारित आदेश 17–नि0 (अरा0 आ0) दरभंगा–94/2016–550 दिनांक 01.04.2019 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध दायर की गई हैं।

2. उक्त आदेश में श्री प्रसाद को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए संचिका में रक्षित साक्ष्य/ अभिलेखों के आधार पर एवं दरभंगा, जिला नगर थाना काण्ड संख्या 39/2016 दिनांक 26.02.2016 के अभियुक्त के रूप में मामला दर्ज रहने तथा निदेशालय के पत्रांक 1454 दिनांक 18.09.2017 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति के मद्देनजर लापरवाह स्वेच्छाचारी, गलत तरमीम करने/ करवाने में अभिरूचि रखने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियमावली, 2005 के संशोधन नियमावली, 2007 के भाग (vi) कंडिका–14 (vi) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत दण्ड

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अधिरोपित करते हुए संचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

3. अपीलार्थी के दिनांक 05.12.2019 के अपने अपील अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा के पत्रांक–95–II दिनांक 06.03.2014 द्वारा स्वयं एवं श्री गुलाम नबी आजाद, निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में तीन दिनों यथा शनिवार, सोमवार एवं मंगलवार को जिला अभिलेखागार दरभंगा में पेजिंग एवं कटे फटे हुए अभिलेख को साटने हेतु किया गया था। अपीलार्थी के अनुरोध के बावजूद भी जिला अभिलेखागार में तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद को प्रतिनियुक्त किये जाने का उल्लेख किया गया है साथ ही सेवानिवृत पेशकार श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के अभिलेखागार आने का भी खण्डन किया गया है, जिसके बारे में श्री प्रसाद द्वारा पूर्व में स्पष्टीकरण भी समर्पित किया गया है। इस घटना के समर्थन में अभिलेखागाार दरभंगा कोर्ट के सभी कर्मी कार्यालय के बाहर विधिक मुंशी एवं अन्य जनता के बयान का भी उल्लेख किया गया है। सभी तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपने आप को निर्दोष बताते हुए अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या–550 दिनांक 01.04.2019 के कंडिका–1 में प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. अपीलार्थी के अपील अभ्यावेदन पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–550 दिनांक 01.04.2019 द्वारा प्रदत्त सजा के संबंध में विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया है कि श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन सेवानिवृत पेशकार श्री शैलन्द्र कुमार सिंह को अपने कार्यालय में बुलाकर, अभिलेखागार के कर्मियों से त्रुटि निराकरण हेतु खतियान की मांग कर खतियान में बिना कोई आदेश के प्रविष्टि/ तरमीम किया करते थे। खतियान में किये गये तरमीम के जांच के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, अभिलेखागार, दरभंगा ने जब उनका बयान लेना

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

चाहा तब उस अवधि में अभिलेखागार से गायब रहे। जांच के क्रम में श्री गुप्ता के टेबुल पर 42 की संख्या में बी0टी0 एक्ट की धारा–106 में पारित आदेश के नकल की छायाप्रति पायी गयी। तीन छायाप्रति के पीठ पर "तरमीम करना है" लिखा हुआ था। उपस्थापन पदाधिकारी तथा संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन तदोपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत दंडादेश से स्पष्ट होता है कि श्री गुप्ता पर गलत तरमीम करने / करवाने में संलिप्तता एवं इनके टेबुल पर भारी मात्रा में नकल पाया जाना, बुलाने पर नहीं आना / गायब रहना, प्रतिवेदित आरोप को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। श्री गुप्ता के द्वारा अपने दोनों स्पष्टीकरण में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसी मामले में श्री गुप्ता के विरूद्ध खतियान में हेराफेरी करने के आरोप में दरभंगा नगर थाना में कांड संख्या–39/2016 दिनांक 26.02.2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी अभियोजन स्वीकृति निदेशालय के पत्रांक–1454 दिनांक 18.09.2017 में दी गई है। श्री गुप्ता के विरूद्ध उक्त कांड में पुलिस ने केस को सत्य पाते हुए चार्ज शीट दायर कर दिया है। उपरोक्त आरोपों के आधार पर विभाग के द्वारा श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह, स्वेच्छाचारी गलत तरमीम करने / करवाने में संलिप्त एवं अनुशासनहीन कर्मी बताते हुए इनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई को नियमानुकूल बताया गया है।

5. इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों की दिनांक 13.10.2022 को अंतिम सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के द्वारा कहा गया कि स्वयं अपीलार्थी एवं श्री गुलाम नबी आजाद, निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में तीन दिनों यथा शनिवार, सोमवार एवं मंगलवार को जिला अभिलेखागार दरभंगा में पेजिंग एवं कटे फटे हुए अभिलेख को साटने हेतु किया गया था। अपीलार्थी के अनुरोध के बावजूद भी जिला अभिलेखागार में तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा श्री प्रसाद को प्रतिनियुक्त किया गया साथ ही सेवानिवृत पेशकार श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के अभिलेखागार आकर

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

त्रुटि निराकरण किये जाने की बात को अस्वीकार किया गया है। इस घटना के समर्थन में अभिलेखागार दरभंगा कोर्ट के सभी कर्मी, कार्यालय के बाहर विधिक मुंशी एवं अन्य जनता के बयान अपीलार्थी के पक्ष में दिये जाने का उल्लेख किया गया है। सभी तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपने आप को निर्दोष बताते हुए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या–550 दिनांक 01.04.2019 के कंडिका–1 में प्रतिवेदित आरोप से मुक्त किया जाने का अनुरोध किया गया।

6. इस वाद में उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों, तथ्यों एवं तर्कों का विश्लेषण करने पर स्थिति निम्नवत् पाई गई हैं :–

6(i)– अपीलार्थी श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, निम्नवर्गीय लिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा द्वारा निदेशक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) द्वारा पारित दंडादेश 17–नि0 (अरा0 आ0) दरभंगा–94/2016–550 दिनांक 01.04.2019 के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। इस आदेश के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियमावली, 2005 के संशोधन नियमावली, 2007 के भाग (vi) कंडिका–14 (vi) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत दण्ड अधिरोपित करते हुए संचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतनवृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी को दंड देने का आधार यह रहा है कि अभिलेखागार, दरभंगा में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत पेशकार को अभिलेखागार कार्यालय में बैठाना, अभिलेखागार में नियुक्त अन्य कर्मियों से त्रुटि निराकरण हेतु खतियान की मांग कर खतियान में बिना कोई आदेश के प्रविष्टि करने तथा इससे संबंधित साक्ष्य के रूप में इनके टेबुल पर कुल 42 की संख्या में बी0टी0 एक्ट की धारा 106 में पारित आदेश के नकल की छायाप्रति पाया जाना एवं तीन छायाप्रति की पीठ पर ''तरमीम करना है'' लिखा होना पाये जाने के कारण इनके विरूद्ध

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी और विभागीय कार्यवाही में आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

6.(ii) अपीलार्थी ने अपने बचाव में उल्लेख किया है कि अभिलेखागार में प्रतिनियुक्ति किये जाने के पूर्व उनके द्वारा तत्कालीन, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय श्री अमर नाथ झा को इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति को नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया था फिर भी कार्यालय ज्ञापांक–95–II दिनांक 06.03.2014 द्वारा स्वयं एवं श्री गुलाम नबी आजाद, निम्न वर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में तीन दिनों यथा शनिवार, सोमवार एवं मंगलवार को जिला अभिलेखागार दरभंगा में पेजिंग एवं कटे फटे हुए अभिलेख को साटने हेतु किया गया था। यह कार्य एक सरकारी कर्मी के लिए उचित नहीं है कि वह कौन सा कार्य करे अथवा कौन सा कार्य नहीं करें। अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि अभिलेखागार में प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके द्वारा अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन नहीं किया गया है न ही इस कार्य के लिए किसी सेवानिवृत कर्मी का सहयोग लिया गया है, परन्तु उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके निर्धारित टेबुल पर कुल 42 की संख्या में बी0टी0 एक्ट की धारा 106 में पारित आदेश के नकल की छायाप्रति का पाया जाना तथा तीन छायाप्रति की पीठ पर ''तरमीम करना है'' तथा प्रभारी पदाधिकारी अभिलेखागार द्वारा इस संबंध में उनका मंतव्य प्राप्त करने के लिए बुलाये जाने पर गायब पाया जाना, इस संबंध में उनकी सहभागिता को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त श्री गुप्ता के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या 39/2016 दिनांक 26.02.2016 में उनके विरूद्ध चार्जशीट भी दायर कर दी गई हैं।

उभय पक्षों की सुनवाई करने तथा सभी कागजातों के अवलोकन के पश्चात् अपीलकर्त्ता की अपील को अस्वीकृत करते हुए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–550 दिनांक 01.04.

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

2019 द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध पारित किए गए आदेश की सम्पुष्टि की जाती हैं।

लेखापित एवं संशोधित

28.09.2022

(श्रीमती (डॉ0) वन्दना किनी)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

28.09.2022

(श्रीमती (डॉ0) वन्दना किनी)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।